

# न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 81/2025 (GCMS C.N. 2025/686)

आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

उनवान

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. राज्य सरकार जरिये बनाम | 1. भोजा पुत्र बख्तावर गुर्जर निवासी |
| तहसीलदार करेड़ा जिला      | धुवांला-क तहसील करेड़ा जिला         |
| भीलवाड़ा                  | भीलवाड़ा                            |

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी संख्या 1 स्वयं

## निर्णय

दिनांक 13/01/2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रशासन गांवों के सग अभियान 2021 के दौरान आवंटन सलाहकार समिति, तहसील करेड़ा के द्वारा दिनांक 26.10.2021 को ग्राम धुवाला (क) प०ह० धुवाला (क) के आराजी न० 3392/3 रकबा 103 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से कुल 49 व्यक्तियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम के तहत कृषि कार्य के लिए नियत शर्तों पर आवंटन किया गया. आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति सलग्न है जिसमें से विपक्षी संख्या 1 को तहसील करेड़ा को हेक्टर भूमि आवंटन की गई, जिसका अमल दरामद ना०स० 1770 दिनांक 30.03.22 से राजस्व अभिलेख में किये जाने से अप्रार्थी गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुआ, आवंटन आदेश व नामान्तरकरण की प्रति सलग्न है। वर्णित भूमि जो ग्राम धुवाला (क) प०ह० धुवाला (क) वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 466 पर आराजी न० 4044/4041 रकबा 0.2529 हे० किस्म बंजड से अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी हक दर्ज है, नकल जमाबंदी सलग्न है।

प्रार्थी के अनुसार उक्त आवंटन के तहत कृषि कार्य के लिए नियत शर्तों पर आवंटन किये जाने पर ग्रामवासीयान व अन्य विभिन्न व्यक्तियों द्वारा शिकायत किये जाने पर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक समझौता जांच /भू०प्र०वि०/परिवाद/24/93 दिनांक 05.06.25 एवं पत्रांक 34262 दिनांक 16.09.2025 से भू प्रबन्ध विभाग की संयुक्त टीम का गठन जाकर आवंटित भूमि की साबिक / हाल राजस्व रिकार्ड अनुसार विस्तृत जांच करवाई गई।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकन की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम धुवाला (क) प०ह० धुवाला (क) के आराजी न० 3392/3 का रकबा जमाबन्दी अनुसार 103 बीघा 17 बीस्वा था। जबकि राजस्व नक्शे में 80 बीघा भूमि की ही तरमीम थी, जिसको न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा के आदेश क्रमांक /न्यायालय / 2021/200 निर्णय दिनांक 06.10.2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम से आराजी न० 3392/3 रकबा 103 बीघा 17 बीस्वा की तरमीम को सीमाज्ञान के पश्चात निकट की चारागाह व वन विभाग की भूमि के राजस्व नक्शे में तरमीम में कमी की जाकर उक्त बिलानाम आराजी न० 3392/3 के नक्शे में बढ़ोतरी कर दी गई तत्पश्चात

आवटेन कि कार्यवाही की गई जबकि भू प्रबन्ध विभाग की संयुक्त सीमाकन रिपोर्ट अनुसार वन विभाग की भूमि की तरमीम पूर्व में ही कम थी जिसे बढ़ाये जाने के स्थान पर कम कर दिया गया जो पूर्णतया गलत होने से उक्त निर्णय की अपील न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महो० भीलवाड़ा में दर्ज कराई गई जो विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त आराजी न० 3392/3 में तरमीम को बढ़ाकर किये गये अनियमित आवर्तन जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर निरस्त योग्य है। भू प्रबन्ध विभाग की संयुक्त टीम की सीमाकन रिपोर्ट अनुसार ग्राम धुवाला (क) प०ह० घुवाला (क) की चारागाह, वन विभाग, बिलानाम भूमि की गलत तरमीम होने से रिपोर्ट अनुसार पुनः तरमीम शुद्धि किये जाने व तदानुसार नकल जमाबन्दी में प्रविष्टि शुद्ध किये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेडा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राज० अधि० प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र के चरण स० 4 में वर्णित भू प्रबन्ध विभाग की रिपोर्ट अनुसार आराजी न० 3392/3 के नक्शे में तरमीम बढ़ाई जाकर अप्रार्थी को किया गया उक्त आवटन प्रारम्भ से ही शुन्य होकर निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र के चरण स० 02 में वर्णित भूमि का स्थल निरीक्षण प्रार्थी व पटवारी हल्का धुवाला (क) के साथ किया गया मौका स्थिति अनुसार उक्त आवटित भूमि जो आंशिक पथरिली होकर बड़ी-बड़ी चट्टानों के रूप में अवस्थित है, तथा आवटन दिनांक से अब तक उक्त पथरिली भूमि को अप्रार्थी द्वारा आवटित पूर्ण क्षेत्र को काश्त योग्य नहीं बनाया गया है जिससे उक्त आवटन निरस्त योग्य है। मौका पर्चा की प्रति सलग्न है। कृषि प्रयोजनार्थ आवर्तन नियम 1970 के नियम के तहत आवटित भूमि में से 50 प्रतिशत भू भाग आवटन के प्रथम वर्ष में तथा शेष भाग द्वितीय वर्ष में कृषि योग्य बनाया जाकर काश्त किया जाना अनिवार्य है, जबकि अप्रार्थी द्वारा आवटन दिनांक से अब तक उक्त आवटित भूमि को आवर्तन प्रयोजन अनुसार काबिल नहीं बनाया गया है जिससे उक्त आवटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को आवटित भूमि की सवत 2080 व 2082 की ऑन लाईन खसरा गिरदावारी अनुसार सम्पूर्ण आवटित भूमि पर फसल काश्त अंकन बताया गया जबकि मौके पर भूमि कठोर पथरिली होने से सम्पूर्ण आवटित भूमि के सम्पूर्ण रकबे पर फसल काश्त किया जाना वर्तमान में भी संभव नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग की रिपोर्ट प्राप्त होते ही प्रार्थी द्वारा तत्काल सज्ञान लिया जाकर रिपोर्ट की अनुपालना के कम में गलत तरमीम की अपील व राजस्व अभिलेख में शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये है, जिससे उक्त अनियमित आवटन की जानकारी प्रार्थी को होने से बाद जाचं विधि सम्मत उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया गया है। निवेदन है कि अप्रार्थी को अनियमित तरीके से किये गये आवटन को निरस्त फरमाया जाकर भूमि पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड कराया जाना न्यायोचित है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थी स्वेच्छा से उक्त भूमि के संबंध में सरेण्डर करने को तैयार है एवं माननीय प्राधिकारी द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश की पालना करने को सहमत है। चूंकि उक्त जमीन खेती करने योग्य नहीं है। अगर यह जमीन किसी भी व्यक्ति को आवटन की जाती है या उसमें कोई कार्य जैसे खनन एवं माईनिंग होती है तो पालतू पशुओं के पानी पीने का नदी में आने जाने का रास्ता बंद हो जायेगा। उक्त प्रकरण में वर्तमान स्तर पर विपक्षी संख्या 1 को कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं है, तथा माननीय प्राधिकारी द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही में प्रार्थी पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। प्रार्थी द्वारा संबंधित भूमि के संबंध में मौके की वर्तमान स्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड (मौका व रिकॉर्ड) को यथास्थिति में सुरक्षित रखा गया है तथा आगे भी यथास्थिति बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। निवेदन है कि आज दिनांक तक किसी प्रकार का अवैध विक्रय, हस्तांतरण, निर्माण अथवा राजस्व रिकॉर्ड में अनधिकृत परिवर्तन नहीं किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। विभागीय पेट्रोकार द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते


Dr  
13.1.26  
अति जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

हुए अप्रार्थी को अनियमित तरीके से किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर भूमि पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड कराया जाने हेतु निवेदन किया गया, अप्रार्थी पक्ष भी वादी पक्ष से सहमत है। बहस पर मनन व दस्तावेजों के भलीभांति परीक्षण व विवेचन उपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि कृषि कार्यो हेतु आवंटन के लिए हर दृष्टि से अयोग्य थी। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

## आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम धुवाला-क तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आ.न. 4044/4041 रकबा 0.2529 हैक्ट. भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार करेड़ा को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आ.न की भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार करेड़ा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
13.1.26  
(रणजीत सिंह)

अति. जिला कलक्टर  
अति-जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा